महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकःएफ.2( )सा.प्र. / मदसविवि / 2021 / 1383 दिनांकः 12/10/21

सीमित दर निविदा

विश्वविद्यालय में अत्यावश्यक परीक्षात्मक कार्यों हेतु बस एवं मिनी बस वाहन उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड फर्मो से बस/मिनी बस की दरें दिनांक 16.10.2021 सायं 2.00 बजे तक निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। दरें सील्ड बन्द लिफाफे में सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग में भिजवाना सुनिश्चित करावें:–

Firm Name			
PRICE SCHEDULE			
S.No.	**Name of Vehicle**	**Modal year**	**Rate in figure to be entered by the bidder Rate per K.M. (Diseal/Petrol) including GST & Other Charges excluding Toll Tax & FOR this office**
1	Bus 52 seater		
2	Mini Bus 18-24 Seater		

हस्ताक्षर फर्म मालिक/प्रतिनिधि

शर्तें

1. अजमेर के बाहर के लिए आने व जाने वाले वाहन बस, मिनी बस व अन्य वाहनों के लिये न्यूनतम किलोमीटर की शर्तें निम्नानुसार होगी:–

   1. बस के लिए – 250 किलोमीटर प्रतिदिन
   2. मिनी बस के लिए – 250 किलोमीटर प्रतिदिन

2. सामान्यतः वाहन अजमेर के स्थानीय महाविद्यालय के साथ राजस्थान राज्य में स्थित शहरों तथा कस्बों में ही भेजे जाएंगे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते है, विश्वविद्यालय का आदेश मानना होगा। उक्त निविदा कार्य की अवधि निविदा संख्या 19 दिनांक 30.09.2021 की कार्यवाही पूर्ण होने तक रहेगी तथा आपसी सहमति से बढ़ाई भी जा सकती है।

3. **प्रतिदिन की गणना**

   वाहन के लिए 24 घन्टे की गणना वाहन के विश्वविद्यालय में पहुँचकर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि / इंचार्ज के लॉग बुक पर हस्ताक्षर होने के समय से की जायेगी।

4. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा । दरों का अंकन अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जावे। आवश्यक हो तो अंकों व शब्दों में अंकित दर में भिन्नता की स्थिति में जो भी कम दर होगी मान्य कर लिया जाएगा।

5. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाए जाएंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैध लाइसेंस एवं परमिट चालक को सदैव साथ रखने होंगे ।

6. समस्त कर (पथ कर आदि)फर्म को ही वहन करने होंगे तथा परमिट भी यदि आवश्यक हो तो फर्म को स्वयं अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा ।

7. किसी भी यांत्रित / परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विश्वविद्यालय को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।

8. प्रस्तावित रूटस के टेंटेटिव चार्ट विश्वविद्यालय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है उक्त चार्ट को जब कभी आवश्यकता हो विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।

9. वाहन चालक द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

10. परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने हेतु फर्म अथवा वाहन चालक या उसके प्रतिनिधि द्वारा रवाना होने, पहुंचने, परिवहन की जाने वाली सामग्री एवं रूट आदि के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी।

11. वाहन चालक को विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए समय पर ही परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु विशेष सतर्कता व गोपनीयता बरतनी होगी ।

12. वाहन चालक को किसी भी रूट पर रवाना होने से पूर्व उपकुलसचिव–गोपनीय से लॉग बुक में किलोमीटर रीडिंग नोट करवाना होगा एवं यात्रा में प्रयोगकर्ता प्रभारी से रीडिंग स्लिप पर हस्ताक्षर करवाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी का प्रमाणीकरण कराना होगा तथा लॉगबुक निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रभारी अधिकारी प्रयोगकर्ता से सत्यापित करवानी पड़ेगी।

12.10.2021

कुलसचिव